गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) त्रिपुरा से चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही के महीनों में भारत एवं बंगलादेश की सरकारों ने कई बैठकें की हैं। स्वदेश वापसी 15 जनवरी, 1994 से शुरू हुई और अब तक 1854 शरणार्थी अपनी मातृभूमि को वापस लौट गए हैं । त्रिपुरा राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे शरणार्थी-नेताओं के परामर्श से स्वदेश वापसी का आगे का कार्यक्रम बनाएं ।

(ख) से (घ) अन्य बंगलादेशी जो कि अवैध आप्रवासी हैं उनके साथ "विदेशी नागरिक अधिनियम" के उपबंधों के अनुसार निपटा जा रहा है।

Illegal collection by insurgents in Nagaland and Manipur

2377. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the traders, industrialists and Government departments were forced to pay loyalty tax to insurgents in Nagaland and Manipur; and

(b) if so, what steps are being taken to prevent such illegal collections?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) Government is aware of the reports of extortions by the insurgents in Nagaland and Manipur.

(b) Among several steps taken, certain insurgent groups operating in Nagaland and Manipur have been "banned" and notified as "unlawful associations" under the unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the affected areas declared as "disturbed areas" under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, additional Security Forces inducted, a unified command and State/District level coordination committees set-up for sharing of information and effective coordination of counter-insurgency operations, financial assistance for modernisation of State Police Forces extended etc. The situation is kept under constant watch and reviewed from time to time.

ISI linked group's funding politicians

2378. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Statesman dated the 29th January, 1994 captioned "ISI linked group funded 42 politicians"; and

(b) if so, what steps have been taken to ascertain the truth?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir.

(b) Investigation conducted by the CBI so far has not revealed any link between ISI and the alleged payments to politicians.

उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार

2379. **श्रीमती सत्या बहिन** क्या : गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में दलित वर्गों और उनकी महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ।

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने दलित वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कोई वार्ता की है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में दलित वर्गों पर अत्याचार और विशेषकर इन वर्गों की महिलाओं के उत्पीड़न, बलात्कार और निर्वस्त्र कर अपमानित करने की घटनाओं की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, तथा इस प्रकार, दलितों पर अत्याचारों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना तथा रोकथाम करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है । तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और दलित महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) पी. सी. आर. अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 का सख्ती से प्रवर्तन ;

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पट्टों का कब्जा दिलवाना सुनिश्चित करने में पुलिस सहायता ।

(iii) अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में पुलिस अधिकारियों की आचरण पंजिका में एक कालम शामिल करना ।

(iv) अनु. जाति और अनु. जनजाति पर हुए अत्याचारों को दर्ज करने और उनकी जांच करने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई ।

(v) झगडे की संभावना की स्थिति में निवारणात्मक कार्रवाई तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ।

(vi) जांच अधिकारी द्वारा घटना स्थल का 24 घंटे के अंदर सर्वेक्षण तथा 14 दिन के अंदर जांच पड़ताल पूरी करना ।

(vii) अत्याचार करने वालों के शस्त्र लाईसेंसों को रद्द करना तथा अभियुक्त की तुरन्त गिरफ्तारी ।

(viii) अनु. जाति और अनु. जनजाति के घायलों की तुरन्त डाक्टरी परीक्षा ।

(ix) अनु. जाति,/अनु. जनजाति के प्रभावित व्यक्तियों की सम्पत्ति के नुकसान होने, शारीरिक चोट लगने पर तुरन्त मुआवजे का भुगतान करना ।

(x) अ. जाति और अ. जनजाति इत्यादि, के मामलों के लिए विशेष अदालतें तथा विशेष सरकारी वकील नामित करना ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने समय-समय पर, दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या की ओर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । अभी हाल ही में, गृह मंत्री ने 24-2-1994 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है ।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं पर हुए अत्याचारों के मामलों की संख्या नीचे दी गई है

अपराध की प्रकृति	1992	1993	जन. 1994 तक
1. बलात्कार	264	288	25
2. मानहानि करने की घटनाए	210	228	13
3. निर्वस्त्र परेड कराने की घटनाएं	—	—	